

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

माणिक लाल प्रसाद

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

2024 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 13098

05 दिसंबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री नवनीत कुमार पांडे)

विचार के लिए मुद्दा

क्या निर्वाचन अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को अस्वीकार करना सही था या नहीं?

हेडनोट्स

भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007—धारा 25—पंचायत चुनाव—याचिकाकर्ता को वार्ड पार्षद के रूप में चुना गया—इसके बाद, उन्होंने मुख्य पार्षद के पद के लिए चुनाव लड़ा और बहुमत से निर्वाचित हुए—उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा दिया गया—एक अन्य सदस्य को भी अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा दिया गया—इसके बाद, मुख्य पार्षद का पद रिक्त हो गया था—आयोग ने चुनाव की तिथि अधिसूचित की—चुनाव लड़ने के लिए केवल दो उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और कोई अन्य नामांकन दाखिल नहीं किया गया—जांच के दौरान, निर्वाचन अधिकारी ने याचिकाकर्ता के आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित किया गया था—एक व्यक्ति जिसे अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर उसके पद से हटा दिया गया है, उसे चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जाता है—निर्वाचन अधिकारी ने अपने कर्तव्य में लापरवाही बरती है।

निर्णीत: आम तौर पर, रिट न्यायालय किसी चुनाव की वैधता निर्धारित करने के लिए क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में, न्यायालय को भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का आह्वान करने से वंचित नहीं किया जाता है—राज्य

चुनाव आयोग का खुद का मानना है कि निर्वाचन अधिकारी ने कर्तव्य में लापरवाही की है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है—निर्वाचन अधिकारी इस तथ्य से अवगत थे कि यदि याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया, तो दूसरा उम्मीदवार निर्वाचित हुए बिना भी सफल हो जाएगा क्योंकि चुनावी मैदान में केवल दो उम्मीदवार ही बचे थे—रिट आवेदन—स्वीकार किया गया—याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को खारिज करने वाला आदेश रद्द किया गया—मुख्य पार्षद के पद के लिए प्रतिवादी संख्या 7 का चुनाव भी नए चुनाव शुरू करने के निर्देश के साथ रद्द कर दिया गया।

(पैराग्राफ 20, 22, 23)

न्याय दृष्टान्त

विनय कुमार पप्पू बनाम राज्य चुनाव आयोग, बिहार (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 12051/2015 एवं इसका अन्य सदृश्य मामला); रमा बल्लभ सिंह केशरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2001(2) पीएलजेआर 267; कुलदीप कुमार बनाम यूटी चंडीगढ़ एवं अन्य, (2024) 3 एससीसी 526; एन.एस. माधवन बनाम श्यामदेव प्रसाद एवं अन्य, 2010 (3) पीएलजेआर 578; प्रफुल चंद्र सुधांशु बनाम राज्य चुनाव आयोग (नगरपालिका) एवं अन्य, 2013 (2) पीएलजेआर 114; ज्योति बसु एवं अन्य बनाम देबी घोषाल एवं अन्य, एआईआर 1982 एससी 983; एन.पी. पोन्नूस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी नमक्कल, एआईआर (39) 1952, एससी 64 विश्वनाथ प्रताप सिंह बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य (अपील के लिए विशेष अनुमति (सी) संख्या 13013/2022, दिनांक 09.09.2022 का आदेश); संदीप कुमार बनाम विनोद और अन्य (अपील के लिए विशेष अनुमति (सी) संख्या 15393/2024, दिनांक 10.09.2024 का आदेश); जवाहर कुमार झा बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य (रिट याचिका (दीवानी) संख्या 237/2024, दिनांक 19.04.2024 का आदेश); लक्ष्मीबाई बनाम समाहर्ता, नांदेड़ और अन्य, एआईआर 2020 एससी 3393: एआईआर ऑनलाइन 2020 एससी 202—संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007; बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2007; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951.

मुख्य शब्दों की सूची

अविश्वास प्रस्ताव; चुनाव; रिटर्निंग अधिकारी; वार्ड पार्षद; मुख्य पार्षद।

प्रकरण से उत्पन्न

निर्वाचन अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को अस्वीकार करने के आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: एम.एस.बी.के.मंगलम; श्री अवनीश कुमार; श्री कुमार गौरव; श्री विकास कुमार सिंह

राज्य चुनाव प्राधिकरण की ओर से: श्री रवि रंजन; श्री गिरीश पांडे

प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से: श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री रंजीत चौबे

राज्य की ओर से: श्री रामाधार सिंह, जीपी 25

नगर पंचायत (खुशरूपुर) की ओर से: श्री अशोक कुमार

हेडनोट्स रिपोर्टर द्वारा तैयार किया गया: अभास चंद्र, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 13098

माणिक लाल प्रसाद, पिता-स्वर्गीय महेन्द्र प्रसाद निवासी, वार्ड संख्या 3, बड़ी संगत, चकचंदा, डाक और थाना खुसरोपुर, जिला-पटना, वर्तमान में वार्ड पार्षद, नगर पंचायत, खुसरोपुर, डाक और थाना-खुसरोपुर, जिला-पटना।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. जिला समाहर्ता-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका), पटना, जिला-पटना।
4. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-रिटनिंग पदाधिकारी, पटना, जिला-पटना।
5. नगर पंचायत, खुसरोपुर, डाक एवं थाना-खुसरोपुर, जिला-पटना, कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से।
6. कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, खुसरोपुर, डाक एवं थाना खुसरोपुर, जिला-पटना।
7. गुड्डू कुमार, पिता-दीनानाथ प्रसाद, वर्तमान में मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, खुसरोपुर, डाक एवं थाना-खुसरोपुर, जिला-पटना।
8. राज्य निर्वाचन आयोग (नगर पालिका), सोन भवन, बीरचंद पटेल पथ, पटना, सचिव के माध्यम से।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग (नगर पालिका), सोन भवन, बीरचंद पटेल पथ, पटना।

..... उत्तरदाता/ओं

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री. एस.बी.के.मंगलम श्री अवनीश कुमार श्री कुमार गौरव श्री विकास कुमार सिंह
राज्य चुनाव प्राधिकरण के लिए	:	श्री रवि रंजन श्री गिरीश पांडे
प्रतिवादी संख्या 7 के लिए	:	श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे
राज्य के लिए	:	श्री रामधर सिंह, जी. पी. 25
नगर पंचायत के लिए (खुसरोपुर)	:	श्री अशोक कुमार

=====

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री नवनीत कुमार पांडे

कैव आदेश

9 05-12-2024

मैंने पहले ही याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री एस.बी.के. मंगलम, प्रतिवादी संख्या 7 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अमित श्रीवास्तव और राज्य चुनाव आयोग (नगर पालिका), के विद्वान वकील श्री रवि रंजन जिन्हें आगे 'आयोग' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, के साथ-साथ राज्य के विद्वान वकील को सुन चुका हूँ।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों के लिए वर्तमान रिट आवेदन दायर किया है:-

(I) खुसरूपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के रिक्त पद के लिए चुनाव कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित दिनांक 17.08.2024 के आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट जारी करने के लिए जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 4 ने मुख्य पार्षद के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए याचिकाकर्ता के नामांकन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता को 26.04.2022 को मुख्य पार्षद के पद से हटा दिया गया था जब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था।

(II) प्रतिवादी सं. 4 को दिनांक 17.08.2024 के चुनाव के परिणाम को अभिलेख पर लाने का आदेश और निर्देश देते हुए एक उचित रिट जारी करने के लिए, जिसके द्वारा प्रतिवादी सं. 4 ने प्रतिवादी सं. 7 को खुसरूपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया था और प्रस्तुत करने पर इसे प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उचित रिट जारी करके इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि प्रतिवादी सं. 7 का खुसरूपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद

के रूप में निर्विरोध निर्वाचन एक आकस्मिक परिस्थिति में हुआ था क्योंकि याचिकाकर्ता के नामांकन को अनुचित और अवैध रूप से अस्वीकार कर दिया गया था और इसलिए मुख्य पार्षद के रूप में उनका चुनाव कानून में कायम नहीं रह सकता है।

(III) परमादेश की प्रकृति में एक उचित रिट जारी करने के लिए, प्रतिवादी संख्या 8 और 9 को कानून के अनुसार खुसरूपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के पद के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश और निर्देश दिया गया है।

(IV) किसी अन्य उपयुक्त रिट/रिट, आदेश/आदेश, निर्देश/निर्देश जारी करने के लिए जिसके लिए रिट याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत हकदार पाया जाएगा।”

3. याचिकाकर्ता का संक्षिप्त मामला यह है कि याचिकाकर्ता माणिक लाल प्रसाद मार्च, 2020 में हुए चुनाव में खुसरूपुर नगर पंचायत के वार्ड पार्षद चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने उक्त नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ा और बहुमत से निर्वाचित हुए। मुख्य पार्षद के रूप में उनके दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के तुरंत बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया और याचिकाकर्ता को 26.04.2022 को उनके पद से हटा दिया गया। इसके बाद श्रीमती रंजू सिंह को उक्त नगर पंचायत का मुख्य पार्षद चुना गया। श्रीमती रंजू सिंह ने मुख्य पार्षद के पद पर दो वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया था और उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उन्हें भी उक्त पद से हटा दिया गया, क्योंकि अधिकांश वार्ड पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में अपना वोट दिया था। इसके बाद मुख्य पार्षद का पद रिक्त हो गया था। श्रीमती रंजू सिंह को हटाने के बाद आयोग ने 17.08.2024 को चुनाव की तिथि अधिसूचित की और प्रतिवादी सं. 4 चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी थे। केवल दो व्यक्तियों, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सं. 7 ने चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र

दाखिल किया और कोई अन्य नामांकन दाखिल नहीं किया गया। जांच के दौरान रिटर्निंग अधिकारी ने याचिकाकर्ता के नामांकन को मनमाने ढंग से केवल इस अवैध आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित किया गया था। प्रतिवादी सं. 4 द्वारा नामांकन खारिज करने का निर्णय दुर्भावनापूर्ण था और केवल प्रतिवादी सं. 7 को मुख्य पार्षद के रूप में विधिवत निर्वाचित घोषित करने के इरादे से किया गया था, क्योंकि प्रतिवादी सं. 4 और 7 को पता था कि अधिकांश वार्ड पार्षदों ने चुनाव में याचिकाकर्ता का समर्थन करने का मन बना लिया था। प्रतिवादी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता के नामांकन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता को पूर्व में 26.04.2022 को मुख्य पार्षद के पद से हटा दिया गया था, इसलिए वह बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 (जिसे आगे '(संशोधन) अधिनियम 2022' कहा जाएगा) की धारा 25(5) के प्रावधान के अनुसार पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं है।

4. बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की पुरानी धारा 25 (संक्षेप में '2007 का अधिनियम') को '(संशोधन) अधिनियम 2022' की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो इस प्रकार है:-

“.....25 (1) मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षरयुक्त लिखित त्याग-पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं।

25 (2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक त्यागपत्र ऐसे त्यागपत्र की तारीख से सात दिनों की समाप्ति पर प्रभावी होगा, जब तक कि सात दिनों की उक्त अवधि के भीतर वह सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षरयुक्त लिखित सूचना द्वारा त्यागपत्र वापस नहीं ले लेता है।

25 (3) मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को कुल पार्षदों की संख्या के कम से कम एक-तिहाई पार्षदों द्वारा लिखित रूप में की गई मांग पर निर्धारित तरीके से इस उद्देश्य के लिए बुलाई जाने वाली विशेष बैठक में तत्काल में पद धारण करने वाले पार्षदों की पूरी संख्या के बहुमत द्वारा एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है और विशेष बैठक में कार्य संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जो निर्धारित की जाए;

परन्तु यह कि मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के खिलाफ पद संभालने के दो साल की अवधि के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

परन्तु यह भी कि पहले अविश्वास प्रस्ताव के एक वर्ष के भीतर फिर से अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

परन्तु यह भी कि नगरपालिका के छह महीने की अवशिष्ट अवधि के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

परन्तु यह भी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

25 (4) इस अधिनियम के तहत प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि नगर पालिका पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र रखने वाली सरकार की राय में मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद लगातार तीन से अधिक बैठकों या अधिवेशनों से पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है या जानबूझकर इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों और कार्यों का पालन करने से इनकार करता है या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाया जाता है या अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है या छह महीने से अधिक समय से आपराधिक मामले में आरोपी होने के कारण फरार हो जाता है, तो सरकार मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को स्पष्टीकरण के लिए एक उचित अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा, ऐसे मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को कार्यालय से हटा सकती है।

परन्तु यह कि लोक प्रहरी की नियुक्ति के बाद, धारा 44 के तहत, सरकार केवल ऐसे लोक प्रहरी की सिफारिश के आधार पर इस उप-धारा के तहत आदेश पारित कर सकती है।

25 (5) इस प्रकार हटाए गए मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद ऐसी नगरपालिका के पद के शेष कार्यकाल के दौरान मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के रूप में फिर से चुनाव के लिए पात्र नहीं होंगे।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री मंगलम ने प्रस्तुत किया कि धारा 25 (5) के मात्र

अवलोकन से पता चलता है कि अपने पद से हटाए गए व्यक्ति को केवल पद की शेष अवधि के लिए

प्रतिबंधित किया गया है। उनका आगे कहना है कि धारा 25 (5) में प्रयुक्त वाक्यांश "इस प्रकार हटाए गए" धारा 25 (4) के तहत हटाए गए व्यक्ति से संबंधित है न कि उस व्यक्ति से जिसे अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर धारा 25 (3) के तहत हटाया गया था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने *विनय कुमार पप्पू बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार (सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 12051 सन् 2015 और इसका एक अन्य समान मामला)* के मामले में स्थिति स्पष्ट कर दी है। इस निर्णय के अनुसार, जिस व्यक्ति को अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर अपने पद से हटा दिया गया है, उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। निर्वाची अधिकारी का कार्य दुर्भावनापूर्ण था क्योंकि वह इस तथ्य से अवगत थे कि केवल दो उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था और यदि एक नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाता है, तो दूसरा सफल घोषित किया जाएगा। अनुलग्नक-आर 8-2 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए श्री मंगलम ने कहा कि राज्य चुनाव प्राधिकरण ने स्वयं पाया कि निर्वाची अधिकारी ने अपने कर्तव्यों में घोर लापरवाही की थी और उन्होंने अपने विवेक का दुरुपयोग किया था।

6. अनुलग्नक-आर 8-2 पत्र संख्या न. नि. 50-15/2025 3654 दिनांकित 27.09.2024 जो विशेष कार्य अधिकारी, राज्य चुनाव आयोग, बिहार द्वारा जिला चुनाव अधिकारी (नगर पालिका)-सह-जिला समाहर्ता पटना को भेजा गया है, जिसका उद्धरण नीचे दिया जा रहा है-

"राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार

पत्र संख्या- न. नि. 50-15/2015 3654

प्रेषक,

संजय कुमार (भा0 प्र 0 से0),
विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)

-सह-जिला पदाधिकारी, पटना।

पटना, दिनांक 27.09.2024

विषय- नगर पंचायत खुसरपुर के मुख्य पार्षद के रिक्त पद पर निर्वाचन हेतु दिये गये नामांकन पत्र गलत आधार पर अस्वीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-4688 दिनांक 09.09.2024 तथा श्री मानिक लाल प्रसाद, वार्ड पार्षद, नगर पंचायत-खुसरपुर का अभ्यावेदन दिनांक -22.08.2024।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री मानिक लाल प्रसाद, वार्ड पार्षद, नगर पंचायत- खुसरपुर से प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में आपके द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से दिनांक-17.08.2024 को निर्वाचन हेतु अपनाई गई सम्पूर्ण प्रक्रिया से संबंधित अभिलेखों को प्राप्त कराया गया, जिसकी समीक्षा आयोग स्तर पर की गई, तो यह पाया गया कि श्री रंजन कुमार चौधरी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी, नगर पंचायत-खुसरपुर द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 (यथा संशोधित) की धारा-25(5) के गलत निर्वचन करते हुए श्री मानिक लाल प्रसाद, वार्ड पार्षद नगर, पंचायत-खुसरपुर के नामांकन पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया है, जबकि मुख्य पार्षद के पद हेतु मात्र दो नामांकन ही प्राप्त हुए थे।

बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 (यथा संशोधित) की धारा-25(5) (संशोधन पूर्व 25(6) का निर्वचन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.-12051/2015 एवं सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.-19507/2014 में पारित न्याय निर्णय दिनांक-30.11.2015 को किया जा चुका है। (छायाप्रति संलग्न)।

उक्त वर्णित स्थिति में जबकि मुख्य पार्षद के पद पर निर्वाचन हेतु मात्र दो नामांकन प्राप्त हुए थे तथा किसी एक के अस्वीकृत या खारिज होने पर निविरोध निर्वाचन की स्थिति पैदा होने वाली थी, तो ऐसी स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी का उत्तरदायित्व था कि तकनीकी आधार पर नामांकन को अस्वीकृत करने के पूर्व इस बात का पूर्ण रूपेण समाधान कर लिया जाए की अस्वीकृति वैधानिक रूप से शत-प्रतिशत न्यायोचित है, परन्तु निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अपने पदीय दायित्व के निर्वहन तथा वैधानिक रूप से प्रदत्त स्वविवेक की शक्ति का दुरुपयोग किया गया, क्योंकि इस संबंध में न तो उनके द्वारा आपसे और न ही आयोग से किसी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। साथ ही मुख्य पार्षद के निर्वाचन के समय प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक द्वारा भी निर्वाची पदाधिकारी के निर्णय में चूक एवं विवेकाधिकार के दुरुपयोग किये जाने की सूचना आपको तथा आयोग को नहीं दिया गया बल्कि निर्वाची पदाधिकारी के निर्णय पर ही सहमति दिया गया जो उनके द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में असफलता को दर्शाता है।

अतएव अनुरोध है कि श्री रंजन कुमार चौधरी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी, नगर पंचायत-खुसरपुर से उनके उक्त पदीय दायित्व के निर्वहन में चूक तथा विवेकाधिकार के दुरुपयोग से निर्वाचन परिणाम को प्रभावित करने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के आलोक में एवं श्री पुष्पेश कुमार, अपर समाहर्ता, विभागीय जांच, पटना को इस संबंध में सूचित नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन 10 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
अनुलग्नक:- यथोक्त।"

7. विद्वान वकील श्री मंगलम ने प्रस्तुत किया कि राज्य चुनाव आयोग के विशेष कार्य अधिकारी के पत्र का केवल अवलोकन से पता चलता है कि निर्वाची अधिकारी ने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर त्रुटि की है और उन्होंने अपनी शक्तियों और विवेक का दुरुपयोग किया है। इस प्रकार, यह एक विशिष्ट मामला है जिसमें रिट अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा सकता है।

8. प्रतिवादी सं..7 की ओर से उपस्थित श्री अमित श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ वकील, ने प्रस्तुत किया है कि निर्वाची अधिकारी का कार्य कितना भी गलत क्यों न हो, इसे रिट अधिकार क्षेत्र में चुनौती नहीं दी जा सकती है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि एक उम्मीदवार के चुनाव के बाद, एक पीड़ित व्यक्ति के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय चुनाव याचिका दायर करना है। चुनाव याचिका के अलावा, एक निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बिहार नगरपालिका चुनाव नियम, 2007(संक्षेप में 'नियम, 2007') के नियम 102 के साथ पठित 'अधिनियम 2007' की धारा 478 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि ये प्रावधान स्पष्ट और साफ शब्दों में प्रदान करते हैं कि नगर पार्षद, मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद के पद के चुनाव को चुनाव याचिका के अलावा चुनौती नहीं दी जा सकती है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि 'अधिनियम 2007' की धारा 478 की प्रारंभिक पंक्ति सर्वोपरि खंड से शुरू होती है।' 'अधिनियम 2007' की धारा 478 का खंड (बी) स्पष्ट करता है कि नगर पालिका का चुनाव को एक चुनाव याचिका के अलावा अन्य मामले में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। त्वरित संदर्भ के लिए,

'अधिनियम 2007' की धारा 478 का खंड (बी) और 'नियम 2007' का नियम 102 उद्धृत निकाला जा रहा है:-

“478. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप करने पर प्रतिबन्ध। इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी-

(क) XXX XXX

(ख) किसी भी नगरपालिका के किसी भी चुनाव को, इस अधिनियम के तहत निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के अलावा, किसी भी प्रकार से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।”

'नियम 2007' का नियम 102 इस प्रकार है:-

“102. चुनाव याचिकाएँ- इन नियमों के तहत नगर पार्षद, मुख्य पार्षद या उप-मुख्य पार्षद के पद के किसी भी चुनाव को, इस भाग के अनुसार प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के अलावा, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

9. श्री श्रीवास्तव ने **ज्योति बसु एवं अन्य बनाम देबी घोषाल एवं अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसकी रिपोर्ट **एआईआर 1982 एस.सी. 983** में दी गई है। निर्णय के पैरा-4 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के किसी भी चुनाव को, चुनाव याचिका के अतिरिक्त, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में '1951 का अधिनियम') से संबंधित है, लेकिन 'अधिनियम 2007' की धारा 478 और 'नियम 2007' के नियम 102 के प्रावधान 'अधिनियम 1951' की धारा 80 के समान हैं।

'1951 के अधिनियम' की प्रासंगिक धारा 80 नीचे उद्धृत की जा रही है:-

“80. चुनाव याचिका- किसी भी चुनाव को इस भाग के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका के अतिरिक्त प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।”

ज्योति बसु (उपरोक्त) के मामले में, लोकसभा के एक सफल उम्मीदवार के चुनाव को चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों में से एक के साथ मिलीभगत से भ्रष्ट आचरण किया गया था। चुनाव याचिकाकर्ता ने अपनी चुनाव याचिका में मुख्यमंत्री और उक्त मंत्री को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वे आवश्यक पक्ष नहीं हैं। आवश्यक पक्ष केवल वे हैं जिनका उल्लेख '1951 के अधिनियम' की धारा 82 में किया गया है।

श्री श्रीवास्तव द्वारा भरोसा किया गया दूसरा निर्णय **एन.पी. पोन्नुस्वामी बनाम निर्वाची अधिकारी नामक्कल (एआईआर (39) 1952, एससी 64)** का मामला है। उस निर्णय के पैरा 16(2) की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए, श्री श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि चुनाव को केवल एक चुनाव याचिका के माध्यम से ही प्रश्नगत किया जा सकता है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 16 (2) को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

“16(2) इन सिद्धांतों के अनुरूप, इस देश के साथ-साथ इंग्लैंड में भी चुनाव कानून की योजना यह है कि किसी भी ऐसी चीज को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जो "चुनाव" को प्रभावित न करे, और यदि चुनाव के दौरान कोई अनियमितताएं की जाती हैं और वे उस श्रेणी या वर्ग से संबंधित हैं, जो उस कानून के तहत, जिसके द्वारा चुनाव शासित होते हैं, "चुनाव" को दूषित करने का प्रभाव रखती हैं और प्रभावित व्यक्ति को इसे प्रश्नगत करने में सक्षम बनाती हैं, तो उन्हें चुनाव याचिका के माध्यम से एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष लाया जाना चाहिए और

चुनाव के दौरान किसी भी अदालत के समक्ष विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।”

10. श्री श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि समविषयक वाले प्रावधान में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को केवल एक चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है और वर्तमान मामले में उन मामलों के निर्णयाधार का पालन किया जाना चाहिए।

11. श्री श्रीवास्तव ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के तीन निर्णयों पर भी भरोसा किया है, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

(i) पहला मामला *विश्वनाथ प्रताप सिंह बनाम भारत निर्वाचन आयोग (अपील के लिए विशेष अनुमति (सी) संख्या 13013/2022, दिनांक 09.09.2022 का आदेश)* है। इस मामले में याचिकाकर्ता को राज्यसभा सदस्य के पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि उसके लिए कोई प्रस्तावक नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल उसकी अपील के लिए विशेष अनुमति को खारिज कर दिया, बल्कि उस पर 1,00,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया।

(ii) दूसरा निर्णय *संदीप कुमार बनाम विनोद एवं अन्य (विशेष अपील अनुमति (सी) संख्या 15393/2024, दिनांक 10.09.2024 का आदेश)* है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरपंच पद के लिए एक उम्मीदवार के नामांकन पत्र को इस आधार पर खारिज करते हुए आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, कि उसने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिकुलेशन नहीं किया था, जो कि अनिवार्य योग्यता थी।

(iii) तीसरा निर्णय *जवाहर कुमार झा बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य (रिट याचिका (सिविल) संख्या 237/2024, दिनांक 19.04.2024 का आदेश)* का है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिहार के बांका निर्वाचन क्षेत्र से संसदीय चुनाव में एक उम्मीदवार के नामांकन पत्र खारिज करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

12. उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करने के बाद, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय की गई मिसाल से यह स्पष्ट होता है कि अदालतें नामांकन पत्रों की अनुचित अस्वीकृति या अनुचित स्वीकृति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *लक्ष्मीबाई बनाम समाहर्ता, नांदेड और अन्य (एआईआर 2020 एससी 3393: एआईआर ऑनलाइन 2020 एससी 202)* के मामले एक के निर्णय पर भी भरोसा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि *लक्ष्मीबाई* (उपरोक्त) के मामले में *ज्योति बसु* (उपरोक्त) और *एन.पी. पोन्नुस्वामी* (उपरोक्त) के निर्णयों पर भरोसा करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक समविषयक प्रावधान में यह अभिनिर्धारित किया कि किसी भी सदन के किसी भी चुनाव को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, सिवाय चुनाव याचिका के माध्यम से और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 को उस स्थिति में लागू नहीं किया जा सकता, जहां विवाद एक चुनाव को प्रश्नगत करने का रूप लेता है, सिवाय विशेष स्थितियों के जो इंगित किए गए हैं, लेकिन जिन पर आगे विचार नहीं किया गया है। *लक्ष्मीबाई* (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पैरा-40 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

“40. मोहिंदर सिंह गिल और ए. एन. आर. बनाम. मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य मामले में एक संविधान पीठ ने एन. पी. पोन्नुस्वामी के मामले की जांच की और कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 329 एक सर्वोपरि खंड के साथ शुरू होता है कि इस संविधान

में निहित होने के बावजूद, किसी भी सदन के लिए किसी भी चुनाव को चुनाव याचिका के अलावा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसलिए, जहाँ विवाद चुनाव को प्रश्नगत करने का रूप लेता है, वहाँ भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 अप्रभावी हो जाता है, सिवाय उन विशेष स्थितियों के जो जिनका उल्लेख पोन्नुस्वामी में किया गया था, लेकिन उन पर विचार नहीं किया गया। यह माना गया कि चुनाव के दौरान की गई हर गलती का एक उपाय है, हालांकि इसे चुनाव के बाद के चरण में स्थगित कर दिया गया है। चुनाव न्यायाधिकरण के पास पीड़ित उम्मीदवार को राहत देने की शक्तियाँ हैं।”

13. श्री श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि, स्थापित सिद्धांत के अनुसार, निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को, चुनाव याचिका के माध्यम के अतिरिक्त, प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।

14. प्रतिवादी संख्या 8, राज्य चुनाव आयोग (नगर पालिका) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवि रंजन ने प्रस्तुत किया कि आयोग का प्रथम दृष्ट्या मानना है कि निर्वाची अधिकारी ने अपने कर्तव्य में लापरवाही की है और उन्होंने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विवेक का दुरुपयोग किया है। निर्वाचन आयोग ने एक पत्र जारी कर निर्वाची अधिकारी (प्रतिवादी सं. 4) से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने आगे कहा कि सभी बातों के बावजूद, वर्तमान मामले को दुर्लभतम और अपवादात्मक मामला नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि संवैधानिक अदालतें चुनाव में हस्तक्षेप करती थीं, लेकिन यह एक सामान्य घटना नहीं है। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही संवैधानिक अदालतें ऐसा करती थीं। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि यह निर्वाची अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 4) द्वारा अधिनियम की धारा 25 (5) में उपयोग किए गए वाक्यांश **"इस प्रकार हटाए गए"** की गलत व्याख्या का मामला हो सकता है, लेकिन इस आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय में निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं

है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री मंगलम ने जवाब में कहा है कि निर्वाची अधिकारी को अधिनियम की धारा 25 (5) के प्रावधान के बारे में गलत धारणा नहीं थी जो प्रतिवादी सं. 3 और 4 द्वारा दायर जवाबी हलफनामों से पता चलता है। प्रतिवादी सं. 3 जिला मजिस्ट्रेट-सह-जिला चुनाव अधिकारी (नगर पालिका), पटना हैं और प्रतिवादी सं. 4 स्वयं निर्वाची अधिकारी हैं। अपने संयुक्त जवाबी हलफनामों में, उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को खारिज करने का कारण अधिनियम की धारा 25(5) के तहत उनकी अयोग्यता थी। श्री मंगलम ने उस प्रतिवादी सं. 3 और 4 ने अपने जवाबी हलफनामों में यह नहीं कहा है कि कानून की गलत धारणा के कारण याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी सं. 4 का आचरण यह दर्शाता है कि उसका कार्य जानबूझकर और सुविचारित था।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री मंगलम ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले से भी बदतर एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें निर्वाची अधिकारी ने प्रतिवादी सं. 7 के साथ मिलीभगत करके, प्रतिवादी संख्या 7 को लाभ पहुँचाने के इरादे से याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को खारिज कर दिया क्योंकि चुनावी मैदान में केवल दो उम्मीदवार बचे थे।

16. श्री मंगलम ने *राम बल्लभ सिंह केशरी बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2001 (2) पी. एल. जे. आर 267* के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया है जिसमें निर्वाची अधिकारी ने मुखिया के पद के लिए चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नामांकन पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उसने चार सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जहां बिहार पंचायत चुनाव नियम, 1995 के नियम 39 (2) के अनुसार केवल दो सेटों की आवश्यकता थी।

राम बल्लभ सिंह केशरी (उपरोक्त) खंडपीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“.....कानून में यह स्पष्ट है कि है कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो यह न्यायालय इस मामले में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि इसके परिणामस्वरूप स्पष्ट अन्याय न हुआ हो। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी का

नामांकन पत्र नियमों में नियम 39 (2) के उल्लंघन के आधार पर खारिज कर दिया गया है, जिसमें प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार नामांकन पत्रों के दो से अधिक सेट दाखिल नहीं करेगा। इस मामले में, अपीलार्थी ने नामांकन पत्रों के चार सेट दाखिल किए हैं। हमारे विचार में, अपीलार्थी ने उपरोक्त नियमों के अनुसार आवश्यकता से दो अधिक सेट दाखिल किए हैं और उस मामले में निर्वाची अधिकारी को अपीलार्थी के नामांकन पत्र को अस्वीकार करने के बजाय नामांकन पत्रों के अतिरिक्त सेट को अस्वीकार कर देना चाहिए था। वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जिसमें हस्तक्षेप न करने से न्याय की विफलता होगी और यह अनुचित है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्वाची अधिकारी की ओर से पूरी तरह से विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है।”

17. श्री मंगलम ने आगे कहा कि यदि घोर अन्याय होता है, तो इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने **कुलदिप कुमार बनाम यू. टी. चंडीगढ़ और अन्य, 2024 (3) एस. सी. सी. 526** में रिपोर्ट किए गए, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। उस मामले में, मतगणना के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न केवल वापस निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को रद्द कर दिया, बल्कि उस मामले में अपीलार्थी को वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 340 के तहत आपराधिक कार्यवाही के लिए भी निर्देश दिया। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा-39 और 40 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“39. हम तदनुसार आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषित चुनाव के परिणाम को रद्द और अपास्त कर दिया जाएगा। अपीलार्थी, कुलदिप कुमार, को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर

के रूप में चुनाव के लिए वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया गया है।

40. इसके अलावा, हमारा विचार है कि पीठासीन अधिकारी श्री अनिल मसीह के आचरण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 340 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए एक उपयुक्त और उचित मामला बनता है। 19 फरवरी, 2024 के आदेश के पैराग्राफ 2 में, हमने वह बयान दर्ज किया है जो पीठासीन अधिकारी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने पर दिया गया था। पीठासीन अधिकारी के रूप में, श्री अनिल मसीह एक बयान देने के परिणामों से बेखबर नहीं रह सकते थे, जो प्रथम दृष्टया न्यायिक कार्यवाही के दौरान उनकी जानकारी में गलत प्रतीत होता है।

18. श्री मंगलम ने **एन.एस.माधवन बनाम श्यामदेव प्रसाद एवं अन्य** जो 2010 (3) **पीएलजेआर 578** में रिपोर्ट किया गया, के मामले की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए, प्रस्तुत किया है कि उस निर्णय के पैरा-20 में इस न्यायालय की माननीय खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि हालांकि नामांकन पत्रों की अनुचित स्वीकृति या अनुचित अस्वीकृति के मामले में एकमात्र उपाय चुनाव याचिका के माध्यम से है, हालांकि, जब असाधारण परिस्थितियां होती हैं तो रिट अदालत रिट को अस्वीकार नहीं करेगी। इस निर्णय का पैरा-20 नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

“.....नामांकन पत्र की अस्वीकृति या स्वीकृति का मुद्दा चुनावी विवाद में उठाया जा सकता है। हालाँकि, जब असाधारण परिस्थितियाँ होती हैं तो रिट अदालत रिट पर विचार करने से इनकार नहीं करती है। यदि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं, तो वैकल्पिक उपाय को दरकिनार किया जा

सकता है। प्रस्थान का मार्ग अपनाने के लिए ऐसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए जो इसे उचित ठहराएँ।”

19. श्री मंगलम ने **प्रफुल्ल चंद्र सुधांशु बनाम राज्य चुनाव आयोग (नगर पालिका) और अन्य 2013 (2) पी. एल. जे. आर. 114** में रिपोर्ट की गई, के भी मामले पर भरोसा किया है। इस मामले में याचिकाकर्ता **प्रफुल्ल चंद्र सुधांशु** ने दानापुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 40 के पार्षद पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। उनका नामांकन पत्र निर्वाची अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन बाद में इसे खारिज कर दिया गया था। माननीय खंड पीठ ने इसे असाधारण परिस्थितियों मानते हुए अधिकारियों को **प्रफुल्ल चंद्र सुधांशु** को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित करने का निर्देश दिया क्योंकि वह एकमात्र उम्मीदवार थे जिन्होंने अपना नामांकन भरा था।

20. पक्षकारों द्वारा जिन पूर्ववर्ती/निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आम तौर पर रिट अदालतें चुनाव की वैधता निर्धारित करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर रही हैं, लेकिन अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में, न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। वर्तमान मामले में, राज्य चुनाव आयोग, जिसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का कर्तव्य दिया गया है, की स्वयं यह राय है कि निर्वाची अधिकारी ने कर्तव्य में लापरवाही की है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। निर्वाची अधिकारी इस तथ्य से अवगत थे कि यदि याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाता है, तो प्रतिवादी सं. 7 चुनाव के बिना भी सफल होंगे क्योंकि चुनावी क्षेत्र/मैदान में केवल दो उम्मीदवार बचे थे।

21. मेरे विचार में, वर्तमान से बदतर मामला नहीं हो सकता है, जिसे असाधारण और दुर्लभतम कहा जा सकता है। यह वास्तविक न्याय से इनकार करने का एक स्पष्ट उदाहरण है जहां गैर-हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी।

22. तदनुसार, रिट आवेदन को स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित दिनांक 17.08.2024 के आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को खारिज कर दिया गया था, को रद्द किया जाता है।

23. परिणामस्वरूप, खुसरूपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद के लिए प्रतिवादी संख्या 7 का चुनाव भी रद्द किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 8 और 9 को कानून के अनुसार खुसरूपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद के लिए नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया जाता है।

(नवनीत कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

एचआर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।